15 -ാം കേരള നിയമസഭ

<u>5 -ാം സമ്മേളനം</u>

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 4504

<u> 19-07-2022 - ൽ മറുപടിയ്ക്</u>

മംഗളവനം പക്ഷി സങ്കേതം

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
ശ്രീ. ടി. ജെ. വിനോദ്		ശ്രീ . എ . കെ . ശശീന്ദ്രൻ (വനം-വനൃജീവി വകുപ്പ് മന്ത്രി)	
(എ) എറണാകളം മണ്ഡലത്തിലെ സങ്കേതത്തെ കേന്ദ്ര പരിസ സോൺ ആയി വിജ്ഞാപന വിശദമാക്കാമോ; എങ്കിൽ വ പകർപ്പ് ലഭ്യമാക്കാമോ;	ല മംഗളവനം പക്ഷി മിതി മന്ത്രാലയം ബഫർ രം ചെയ്തിട്ടുണ്ടോയെന്ന്	എ) മംഗളവനം പക്ഷി സങ്കേതത്തിന് ചുറ്റം ഇക്കോ സെൻസിറ്റീവ് സോൺ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിനുള്ള കരട് വിജ്ഞാപനം കേന്ദ്ര വനം പരിസ്ഥിതി മന്ത്രാലയം 07-09-2020-ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആയതിന്റെ പകർപ്പ് അനുബന്ധമായി ചേർത്തിരിക്കുന്നു. ഇത് സംബന്ധിച്ച അന്തിമ ഉത്തരവ് നാളിഇവരെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടില്ല.	
(ബി) വിജ്ഞാപനം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്ക സ്യപ്രീം കോടതി ഉത്തരവ് മ സങ്കേതത്തിന് ബാധകമാരേ ഒഴിവാക്കാനുള്ള നടപടി സാ	ഗളവനം പക്ഷി ണാ; എങ്കിൽ അത്	മ്പി) ബഇ.സുപ്രീം കോടതിയുടെ 03-06-2022-ലെ ഉത്തരവ് മംഗളവനം പക്ഷി സങ്കേതം ഉൾപ്പടെ സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ സംരക്ഷിത പ്രദേശങ്ങൾക്കും ബാധകമാണ്. 03-06-2022-ലെ ബഇ.സുപ്രീം കോടതി ഉത്തരവിലെ നിയന്ത്രണങ്ങളിൽ നിന്നും ഇളവ് ലഭിക്കുന്നതിനായി സ്വീകരിച്ചുവരുന്ന നടപടികൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു. ബഇ.വനം വകപ്പ് മന്ത്രിയുടെ അദ്ധ്യക്ഷതയിൽ 08-06-2022-ന് ചേർന്ന യോഗത്തിലെ തീരുമാന പ്രകാരം, ഒരു കിലോ മീറ്റർ ഇക്കോ സെൻസിറ്റീവ് സോണിൽ ഉൾപ്പെടാൻ സാധ്യതയുളള പ്രദേശങ്ങളിൽ, ഉപഗ്രഹ ചിത്രങ്ങളുടെ സഹായത്തോടെ വന്നാതിർത്തി പരിശോധിച്ചശേഷം, വിശദാംശങ്ങൾ പരിശോധിച്ച് റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കുന്നതിന് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ, ആസൂത്രണ സാമ്പത്തികകാര്യ വകപ്പിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലുളള, കേരള സംസ്ഥാന റിമോട്ട് സെൻസിങ് ആൻറ് എൻവയോൺമെൻറ് സെൻററുമായി (KSREC) ധാരണപത്രത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ബഇ. സുപ്രീം കോടതിയുടെ വിധി പ്രകാരം സംരക്ഷിത മേഖലയ്ക്ക് ചുറ്റം ഒരു കി.മീ. ഇക്കോ സെൻസിറ്റീവ് സോൺ വേണമെന്ന വ്യവസ്ഥയിൽ കേരളത്തിന് പ്രത്യേക ഇളവ് വേണമെന്ന് കേന്ദ്ര വനം	

മന്ത്രി ശ്രീ.അശ്വനി കുമാർ ചൗബെയോട് 18.06.2022 ൽ നടന്ന അവലോകന യോഗത്തിൽ കേരള വനം വകുപ്പ് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

സുപ്രീം കോടതിയുടെ വിധിയിന്മേൽ ബഇ. സാഹചര്യങ്ങൾ കേരളത്തിലെ പ്രത്യേക കണക്കിലെടുത്ത് മോഡിഫിക്കേഷൻ/ ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ പെറ്റീഷൻ ഫയൽ 24-06-2022-ൽ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള നിർദ്ദേശം സർക്കാർ അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറലിന് സംസ്ഥാന നൽകുകയും മോഡിഫിക്കേഷൻ / ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യുന്നതിന് പെറ്റീഷൻ ഫയൽ ആവശൃമായ വിവരങ്ങൾ അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറലിന് കൈമാറുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സംസ്ഥാനത്തെ പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ ജനവാസമേഖലകളെ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് നിലവിൽ സമർപ്പിച്ചിട്ടുളള അംഗീകരിച്ച് പ്രൊപ്പോസലുകൾ ഇക്കോ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിനുളള സെൻസിറ്റീവ് സോൺ നടപടികൾക്കായി എംപവേർഡ് കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റിയേയും കോടതിയെയും ബഇ. സുപ്രീം സമീപിക്കണമെന്ന് സർക്കാർ സംസ്ഥാന 25.06.2022-ൽ പരിസ്ഥിതി കേന്ദ്ര വനം മന്ത്രാലയത്തോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

रजिस्ट्री सं. ही.एल.- 33004/99

REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-08092020-221605 CG-DL-E-08092020-221605

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग 11—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2701| No. 2701| नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 7, 2020/माद्र 16, 1942 NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 7, 2020/BHADRA 16, 1942

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 सितम्बर, 2020

का.आ. 3033(अ).—मंत्रालय की प्रारूप अधिसूचना का.आ. 2810(अ), दिनांक 28 अगस्त, 2017, के अधिक्रमण में, अधिसूचना का निम्नलिखित प्रारुप, जिसे केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उपधारा (3) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जारी करने का प्रस्ताव करती है को पर्यावरण (संरक्षण) नियमावली 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) की अपेक्षानुसार, जनसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, और यह सूचित किया जाता है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना पर, उस तारीख से, जिसको इस अधिसूचना को अंतर्विष्ट करने वाले भारत के राजपत्र की प्रतियां जनसाधारण को उपलब्ध करा दी जाती हैं, साठ दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा;

ऐसा कोई व्यक्ति, जो प्रारूप अधिसूचना में अंतर्विष्ट प्रस्तावों के संबंध में कोई आपत्ति या सुझाव देने का इच्छुक है, वह विनिर्दिष्ट अविध के भीतर, केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किए जाने के लिए अपनी आपित्त या सुझाव सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली-110003 को लिखित रूप में या ई-मेल esz-mef@nic.in पर भेज सकता है।

प्रारूप अधिसूचना

मंगलवनम पक्षी अभयारण्य केरल राज्य के एर्नाकुलम जिले में कानायान्नूर तालुक के एर्नाकुलम ग्राम में 0.0274 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इस अभयारण्य को वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 18 के अधीन जी.ओ. (एमएस) सं. 42104/एफ एवं डब्ल्यू एल डी दिनांक 31 अगस्त, 2004 के अनुसार पक्षी अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया था और क्षेत्र की सीमाओं का सीमांकन और समेकन किया गया था। संरक्षित क्षेत्र सहायक वन संरक्षक, एनएससी, कालाडी के नियंत्रण में है, जो वन्यजीव वार्डन, मंगलवनम पक्षी अभयारण्य का पूर्ण अतिरिक्त प्रभार भी संभालते है;

और, संरक्षित क्षेत्र पश्चिम तटीय (एसए) भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। क्षेत्र में विद्यमान अकृत्रिम मैंग्रोव और मैंग्रोव की प्रजातियां एविकेनिया ऑफिसिनालिस, राइज़ोफोरा मुकरोनाटा, एकैंथस इलिकिफ़ोलियस और एक्रोस्टिचस ऑरियम शामिल हैं। यहां मंगलवनम पक्षी अभयारण्य में कुल 30 वनस्पित की प्रजातियां हैं। अभयारण्य में मुख्य वनस्पित एकेंथुस इलिकिफोलिउस, एक्रोस्टिचम ऑरियम, अल्टेरनांथेरा स्पा, एविकेत्रिया ऑफिसिनालिस, अजादीराचटा इंडिका, कारयोटा यूरेंस, केइबा पेंटन्द्रा, कोक्किनिया ग्रांडिस, कुस्कुटा रेफलेक्सा, डेरींस टरीफोलिआटा, इंटेरोलोबियम सामना, यूकेलिप्टस स्पा, फाईकस गिञ्चोसा, हीबिस्कस टिलाइकेउस, हायइनोकार्पस अल्पाइन, हाइग्रोफिला स्पा, इपोमोया स्पा, मोरिन्डा टेंक्टोरिया, पॉलीएल्थिया लोंगिफोलिया, पोंगामिया पित्राटा, राइजोफोरा मुक्रोरोना, टेक्टोना ग्रांडिस, टर्मिनलिया कटप्पा, तिनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया, बूडिना ओडियार, आदि उपलब्ध है;

और, एर्नाकुलम जैसे एक व्यस्त शहर के बीच में मैंग्रोव सहित पक्षीजीव, चमगादड़, अन्य पशुओं और अन्य वनस्पति प्रजातियों को अच्छी संख्या में आश्रय प्रदान करने वाले मंगलवनम पक्षी अभयारण्य का अस्तित्व महत्त्वपूर्ण है। अभयारण्य के महत्त्वपूर्ण पक्षीजीवों में लार्ज जलकौआ (*फेलाक्रोकॉरेक्स कारवो*), छोटा जलकौआ (*फेलाक्रोकॉरेक्स निगर*), वांकर (*एंहिन्गा रूफा)*, ग्रे बगुला (*अरदेया किनेरिया*), पर्पल बगुला (*अरदिया पुरपुररिया*), पोंड बगुला (*अरदेओला ग्रायी),* मवेशी इग्रेट (*बुबुलकस इबिस*), लार्ज इग्रेट (अरदेया अल्बा), समल्लेर मीडियम इग्रेट (इग्रेटा इंटरमीडिया), छोटा इग्रेट (एग्रेटा गारजेटा), नाइट बगुला (नेक्टिकोरेक्स नेक्टिकोरेक्स), लेस्सेर व्हिस्टलिंग टेल (डेनड्रोकयगना जवानिका), ब्लैक र्विगड किट (*इलानस केइरूलेउस*), पैरीअह किट (*मिलवउस मिगरानस*), ब्रह्मिनी किट (*हलियास्तूर इंडस*), भारतीय शिकरा (*एक्सीपीटर बैडियस*), क्रेस्टेड सर्पेंट ईगल (*स्पिलोरनिस चीला*), व्हाइट ब्रेस्टेड वाटरहेन (*अमाउरोर्निस फोइनिक्रूस*), रेडवाटलंड लैपर्विग (*वेनेल्लुस इंडिकस*), मार्श सैंडपाइपर (*ट्रिंगा स्टागनाटीलिस*), वृड सैंडपाइपर (*ट्रिंगा ग्रलारेओला), व्*ल रॉक कबूतर (कोलोम्बा लिविया), भारतीय रिंग कबूतर (स्ट्रेप्टोपेलिया डिकेक्टो), चित्तीदार कबुतर (स्ट्रेप्टोपेलिया चिनेंसिस), रोज-रिंगड पैराकीट (*पसिट्टाकुला करामेरी)*, दक्षिणी ब्लोस्सोम ब्लॉसम हेडेड पैराकीट (*पसिट्टाकुला* कयानोकेफला), चितकवरा क्रेस्टेड कुक्कुट (*कलामटोर जाकोबिनस*), बराइनफेवेर पक्षी (*कुकुलुस वारिउस*), भारतीय कोएल (*युडोनॉमीस स्कालोपाकिया*), सामान्य क्रो-फ़िशर (*केंट्रोपुस सिनेंसिस*), चित्तीदार उल्लू (*एथेन ब्रामा),* हाउस स्विफ्ट (*एपुस* एफिनिस), पाम स्विफ्ट (साइपसिउरूस परवस), लेस्सेर चितकबरा किंगफिशर (सेरेल रुडिस), छोटा ब्लू किंगफिशर (अलकेडो अट्टीहिस), स्टॉर्कविल्ड र्किंगफिशर (पेलारगोप्सिस केपेंसिस), व्हाइटब्रीस्टेड किंगफिशर (हलकयोन स्मयरनेंसिस), व्हाइटकोल्डार्ड किंगफिशर (*हलकयोन चलोरिस*), छोटा ग्रीन बी-ईटर (*मेरोपस ओरिएंटलिस*), भारतीय रोल्लेर (कोराकिअस बेंघालेंसिस), हुपोड़ (उपुपा इपोपा), ग्रे हॉर्नविल (टोक्क्स बिरोस्ट्रीस), लॉर्ज ग्रीन वारबेट (मेगलाइमा जेयलानिका), छोटा ग्रीन बारवेत (मेगालाइमा विरिडिस), क्रिमसंवरेस्टेड वारवेट (मेगालाइमा हेइमाकेफला), लेस्सेर गोल्डनबैक्ड वूडपिकर (*डीनोपिउम बेंघालेंसिस*), असिक्रोनेड र्फिच लार्क (*इरेमोप्टेरिक्स गरिसेया*), स्काय लार्क (*अलाउदा* स्पा), विरे-टेइलेड स्वल्लो (*हिरूंदो स्मिथि*), गोल्डन ओरिओल (*ओरिओलुस ओरिओलुस*), ब्लैक ड्रोंगो (*डिकरूरस* अडसिमिलिस), असहय स्वाल्लोव-श्रीक (अरटामस फुस्कस), सामान्य मैना (अकिरिडोथेरेस टरिस्टिस), जंगल मैना

(अकरिडोथेरूम फुस्कस), भारतीय ट्री पाई (डेंड्रोकिट्टा वेगाबुंडा), हाउस कौवा (कोरवुस स्प्लेंडेंस), जंगल कौवा (कोरवुस मोकरोरहयंचोस), गोल्ड मेंटलेड क्लोरोप्सिस (कलोरोप्सिस कोर्किचिनेंसिस), रेडिव्हिस्करेड बुलबुल (पिक्रोनटस जकसुस), वाइट चीकेड बुलबुल (पिक्रोनोटस लेयकोगेंयस), रेड वेंटेड बुलबुल (पायकनोनोटस कफेर), व्हिटहेडेड बब्ब्लेर (टुरडोइडेस अफिफिनिस), असहय वरेन-वारब्लेर (पिरिनिया सोकिअलिस), टेलर वर्ड (ओर्थोटोमस सुटोरियस), मागपाई रोबिन (कप्सीचूस सउलारिस), चितकबरा बुस चेट (सैक्सीकोला कापराटा), भारतीय रोबिन (सैक्सिकोलोइडेस फुलिकाटा), सफेद वैगेटल (मोटाकिल्ला अलवा), लार्ज चितकबरा वैगेटल (मोटाकिल्ला माडेरास्पटेंसिस), छोटा सनबर्ड (नेक्टारिनिया मिनिमा),पर्पल संनबर्ड (नेकटरीनिया एशियाटिक), हाउस स्पेर्रोव (पास्सेर डोमेस्टिकस), आदि हैं;

और, विशिष्ट पौधों और पशुओं के अद्वितीय संयोजन के साथ मैंग्रोव अपनी पारिस्थितिकी क्रियाओं के लिए जाना जाता है। वह तट और पश्चजल के साथ भूमि को स्थिर करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते है। ये विशिष्ट पारिस्थितिकी तंत्र विभिन्न प्रकार के समुद्री और ताजे जल के विविध जीवों को अपनी नर्सरी और चारागाह के रूप में समायोजित करते है। राज्य में केवल 900 हेक्टेयर मैंग्रोव क्षेत्र बचे हैं। राज्य में मैंग्रोव के अधिकांश क्षेत्र या तो निजी स्वामित्व या राजस्व भूमि के अंतर्गत आते है और विकासात्मक क्रियाकलापों की विविधता के कारण सबसे ज्यादा प्रभावित है;

और, मंगलवनम पक्षी अभयारण्य का 2.74 हेक्टेयर का छोटा हिस्सा ज्वार आर्द्रभूमि का है जो मैंग्रोव वनस्पित को आश्रय प्रदान करता है इसमें मैंग्रोव की पांच प्रजातियां और अन्य वनस्पितयों की 25 प्रजातियां शामिल हैं। मैंग्रोव वन के इस हिस्से का उपयोग पक्षीजीवों की 97 प्रजातियों को आश्रय प्रदान के लिए किया जाता है। यह दिलचस्प है कि व्यस्त एर्नाकुलम शहर के बीच का यह छोटा क्षेत्र जलीय पक्षीजीवों की प्रजातियों द्वारा घोंसले बनाने के लिए उपयोग किया जाता है;

और, आर्द्रभूमि पक्षियों के अलावा, काफी संख्या में प्रवासी एवियन प्रजातियां, मंगलवनम पक्षी अभयारण्य में अनुकूल मौसम में आती है और यह सामूहिक रूप से घोसलें बनाकर रहने वाले अन्य पक्षियों के लिए घोंसला बनाने की जगह है। यहां चमगादड़ों की कॉलोनी (भारतीय गादर) है जिसमें चमगादड़ों की संख्या लगभग 1000 है;

और, मंगलवनम पक्षी अभयारण्य के चारों ओर के क्षेत्र को, जिसका विस्तार और सीमाएं इस अधिसूचना के पैराग्राफ 1 में विनिर्दिष्ट हैं, पारिस्थितिकी, पर्यावरणीय और जैव-विविधता की दृष्टि से पारिस्थितिकी संवेदी जोन के रूप में सुरक्षित और संरक्षित करना तथा उक्त पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उद्योगों या उद्योगों की श्रेणियों के प्रचालन तथा प्रक्रिया को निषिद्ध करना आवश्यक है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियमावली, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) (जिसे इसमें इसके पश्चात् पर्यावरण अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) तथा उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) एवं उपधारा (3) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केरल राज्य के एर्नाकुलम जिला के मंगलवनम पक्षी अभयारण्य की सीमा के चारों ओर 0 (शून्य) से 1.0 किलोमीटर तक विस्तारित क्षेत्र को पारिस्थितिकी संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिकी संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है, अर्थात्:-

1. पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार और सीमा.-(1) पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार मंगलवनम पक्षी अभयारण्य की सीमा के चारों ओर 0 (शून्य) से 1.0 किलोमीटर तक विस्तृत है और पारिस्थितिकी संवेदी जोन का क्षेत्रफल 0.53 वर्ग किलोमीटर है जिसमें दक्षिणी रेलवे, बीपीसीएल, एचयूएल, जीसीडीए, एचपीसीएल, पोर्ट ट्रस्ट, केएसईबी उप स्टेशन, पुंडित करूप्पन स्मारकम, एलएमसीसी कन्वेंट से संबंधित भूमि और अन्य निजी भूमि शामिल हैं। अभयारण्य की विभिन्न दिशाओं में पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार नीचे दिया गया है:-

दिशा	विस्तार
उत्तर	1 किलोमीटर
दक्षिण	130 मीटर
पूर्व	160 मीटर
पश्चिम	0
उत्तर पूर्व	1 किलोमीटर
उत्तर पश्चिम	666 मीटर
दक्षिण पूर्व	219 मीटर
दक्षिण पश्चिम	0

केरल हाईकोर्ट की बहुत पुरानी इमारतों और केंद्रीय समुद्री मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान के साथ लगे होने के कारण मंगलवनम पक्षी अभयारण्य की दक्षिण पश्चिम सीमाओं में पारिस्थितिकी संवेदी जोन का शून्य विस्तार है।

- (2) मंगलवनम पक्षी अभयारण्य और इसके पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का विवरण **उपाबंध-।** की सारणी क और सारणी **ख** के रूप में संलग्न है।
- (3) सीमा विवरण और अक्षांश और देशांतर के साथ पारिस्थितिकी संवेदी जोन का सीमांकन करते हुए मंगलवनम पक्षी अभयारण्य के मानचित्र उ<mark>पाबंध-॥क, उपाबंध-॥ख</mark> और उपाबंध-॥ग के रूप में संलग्न है।
- (4) पारिस्थितिकी संवेदी जोन और मंगलवनम पक्षी अभयारण्य की सीमा के भू-निर्देशांकों की सूची उपाबंध-III की सारणी क और सारणी ख में दी गई है।
- (5) मंगलवनम पक्षी अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत कोई ग्राम नहीं आता है।
- 2. पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना.—(1) राज्य सरकार, द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन के प्रयोजन के लिए, राजपत्र में अंतिम अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से और इस अधिसूचना में दिए गए अनुवंधों का पालन करते हुए, राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदनार्थ एक आंचलिक महायोजना बनाई जायेगी।
- (2) राज्य सरकार द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आचंलिक महायोजना इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट रीति से तथा प्रासंगिक केंद्रीय और राज्य विधियों के अनुरूप तथा केंद्रीय सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों, यदि कोई हों, के अनुसार बनायी जाएगी।
- (3) आंचलिक महायोजना में पारिस्थितिकी और पर्यावरण संबंधी सरोकारों को शामिल करने के लिए इसे राज्य सरकार के निम्नलिखित विभागों के परामर्श से बनाया जाएगा, अर्थात्:-
 - (i) पर्यावरण;
 - (ii) वन और वन्यजीव;
 - (iii) स्थानीय स्व सरकारी विभाग (एलएसजीडी);
 - (iv) केरल राज्य प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड:
 - (v) कृषि;
 - (vi) राजस्व;

- (vii) शहरी विकास;
- (viii) पर्यटन;
- (ix) ग्रामीण विकास;
- (x) सिंचाई और वाढ़ नियंत्रण;
- (xi) नगरपालिका;
- (xii) पंचायती राज; और
- (xiii) लोक निर्माण विभाग।
- (4) जब तक इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो, आंचलिक महायोजना में वर्तमान में अनुमोदित भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा तथा आचंलिक महायोजना में सभी अवसंरचनाओं और क्रियाकलापों में सुधार करके उन्हे अधिक दक्ष और पारिस्थितिकी-अनुकूल बनाने की व्यवस्था की जाएगी।
- (5) आंचलिक महायोजना में वनरहित और अवक्रमित क्षेत्रों के सुधार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, जलग्रहण क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भू-जल के प्रबंधन, मृदा और नमी के संरक्षण, स्थानीय जनता की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण के ऐसे अन्य पहलुओं की व्यवस्था की जाएगी जिन पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है।
- (6) आंचलिक महायोजना में सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों एवं शहरी वस्तियों, वनों की श्रेणियों एवं किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, उद्यानों एवं उद्यानों की तरह के हरित क्षेत्रों, वागवानी क्षेत्रों, वगीचों, झीलों और अन्य जल निकायों की सीमा का सहायक मानचित्र के साथ निर्धारण किया जाएगा। और प्रस्तावित भू-उपयोग की विशेषताओं का ब्यौरा भी दिया जाएगा।
- (7) आंचलिक महायोजना में पारिस्थितिकी संवेदी जोन में होने वाले विकास का विनियमन किया जाएगा और सारणी में यथासूचीबद्ध पैराग्राफ 4 में निषिद्ध एवं विनियमित क्रियाकलापों का पालन किया जाएगा। इसमें स्थानीय जनता की आजीविका की सुरक्षा के लिए पारिस्थितिकी-अनुकूल विकास का भी सुनिश्चय एवं संवर्धन किया जाएगा।
- (8) आंचलिक महायोजना, क्षेत्रीय विकास योजना की सह-कालिक होगी।
- (9) अनुमोदित आंचलिक महायोजना, निगरानी समिति के लिए एक संदर्भ दस्तावेज होगी ताकि वह इस अधिसूचना के उपवंधों के अनुसार निगरानी के अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सके।
- 3. राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय.- राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपवंधों को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थातु:-
- (1) भू-उपयोग.- (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में वनों, बागवानी क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, मनोरंजन के लिए चिन्हित उद्यानों और खुले स्थानों का वृहद वाणिज्यिक या आवासीय परिसरों या औद्योगिक क्रियाकलापों के लिए प्रयोग या संपरिवर्तन अनुज्ञात नहीं किया जाएगा:

परंतु पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर भाग (क), में विनिर्दिष्ट प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन के लिए कृषि और अन्य भूमि का संपरिवर्तन, मानीटरी समिति की सिफारिश पर और सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से क्षेत्रीय नगर योजना अधिनियम तथा यथा लागू केन्द्रीय सरकार एवं राज्य सरकार के अन्य नियमों एवं विनियमों के अधीन तथा इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार स्थानीय निवासियों की निम्नलिखित आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा जैसे:-

(i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना, उन्हें सुदृढ़ करना और नई सड़कों का निर्माण करना;

- (ii) वृतियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण;
- (iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग;
- (iv) कुटीर उद्योग एवं ग्राम उद्योग; पारिस्थितिकी पर्यटन में सहायक सुविधा भण्डार, और स्थानीय सुविधाएं तथा गृह वास: और
- (v) पैराग्राफ-4 में उल्लिखित बढ़ावा दिए गए क्रियाकलापः

परंतु यह भी कि क्षेत्रीय शहरी नियोजन अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन के विना तथा राज्य सरकार के अन्य नियमों एवं विनियमों एवं संविधान के अनुच्छेद 244 के उपवंधों तथा तत्समय प्रवृत्त विधि, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी आता है, का अनुपालन किए विना वाणिज्यिक या औद्योगिक विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का प्रयोग अनुज्ञात नहीं होगा:

परंतु यह भी कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाली भूमि के अभिलेखों में हुई किसी त्रुटि को, मानीटरी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात्, राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक वार सुधारा जाएगा और उक्त त्रुटि को सुधारने की सूचना केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को दी जाएगी:

परंतु यह भी कि उपर्युक्त त्रुटि को सुधारने में, इस उप-पैरा में यथा उपवंधित के सिवाय, किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन शामिल नहीं होगा।

- (ख) अनुप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुन: बनीकरण तथा पर्यावासों और जैव- विविधता की बहाली के प्रयास किए जाएंगे।
- (2) प्राकृतिक जल स्रोत.- आंचलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक जलमार्गों के जलग्रहण क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और आंचलिक महायोजना में उनके संरक्षण और बहाली की योजना सम्मिलित की जाएगी और राज्य सरकार द्वारा जल जलग्रहण प्रबंधन योजना इस रीति से बनाई जाएगी कि उसमें जलग्रहण क्षेत्रों में विकास क्रियाकलापों को निषिद्ध और निर्विधित किया गया हो।
- (3) पर्यटन एवं पारिस्थितिकी पर्यटन.- (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में सभी नए पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार पारिस्थितिकी संवेदी जोन सम्बंधी पर्यटन महायोजना के अनुसार अनुज्ञात होगा।
- (ख) पारिस्थितिकी पर्यटन महायोजना राज्य सरकार के पर्यावरण और वन विभाग के परामर्श से पर्यटन विभाग द्वारा बनायी जाएगी।
- (ग) पर्यटन महायोजना आंचलिक महायोजना का घटक होगी।
- (घ) पर्यटन महायोजना पारिस्थितिकी संवेदी जोन की वहन क्षमता के आधार पर तैयार की जायेगी।
- (ङ) पारिस्थितिकी पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नानुसार विनियमित किए जाएंगे, अर्थात्:-
 - (i) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, किसी होटल या रिजॉर्ट का नया सन्निर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाएगाः

परंतु यह, पारिस्थितिकी पर्यटन सुविधाओं के लिए संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर की दूरी से परे पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक पूर्व परिभाषित और अभीहित क्षेत्रों में पर्यटन महायोजना के अनुसार, नए होटलों और रिजॉर्ट की स्थापना अनुज्ञात होगी;

(ii) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अन्दर सभी नए पर्यटन क्रिया-कलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार, केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों तथा

पारिस्थितिकी पर्यटन, पारिस्थितिकी-शिक्षा और पारिस्थितिकी-विकास पर वल देने वाले राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण द्वारा जारी पारिस्थितिकी पर्यटन संबंधी दिशानिर्देशों (समय-समय पर यथा संशोधित) के अनुसार होगा;

- (iii) आंचिलक महायोजना का अनुमोदन होने तक, पर्यटन के विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल-विशिष्ट संवीक्षा तथा मानीटरी समिति की सिफारिश के आधार पर संवंधित विनियामक प्राधिकरणों द्वारा अनुज्ञात किया जाएगा और पारिस्थितिकी संवेदी जोन में किसी नए होटल/ रिजॉर्ट या वाणिज्यिक प्रतिष्ठान का संत्रिर्माण अनुज्ञात नहीं होगा।
- (4) प्राकृतिक विरासत.— पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले बहुमूल्य प्राकृतिक विरासत के सभी स्थलों जैसे कि जीन पूल रिजर्व क्षेत्र, शैल संरचना, जल प्रपात, झरने, दर्रे, उपवन, गुफाएं, स्थल, वनपथ, रोहण मार्ग, उत्प्रपात आदि की पहचान की जाएगी और उनकी सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए आंचलिक महायोजना के भाग के रूप में एक विरासत संरक्षण योजना बनायी जाएगी।
- (5) मानव निर्मित विरासत स्थल.- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, कलाकृति-क्षेत्रों तथा ऐतिहासिक, स्थापत्य संवधी, सौंदर्यात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण के लिए आंचलिक महायोजना के भाग के रूप में एक विरासत संरक्षण योजना बनायी जाएगी।
- (6) **ध्विन प्रदूषण.** पर्यावरण अधिनियम के अधीन ध्विन प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 में नियत उपबंधों के अनुसार में पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ध्विन प्रदूषण के नियंत्रण के लिए विनियमों को कार्यान्वित करेगा।
- (7) **वायु प्रदूषण.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण के निवारण और नियंत्रण का वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन वनाए गए नियमों के उपवंधों के अनुसार अनुपालन किया जाएगा।
- (8) **बिहस्राव का निस्सारण.** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उपचारित बिहस्राव का निस्सारण, साधारणों मानकों के अन्तर्गत पर्यावरण अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन आने वाले पर्यावरणीय प्रदूषण के निस्सारण के लिए साधारण मानकों या राज्य सरकार द्वारा नियत मानकों, जो भी अधिक कठोर हो, के उपवंधों के अनुसार होगा।
- (9) ठोस अपशिष्ट.- ठोस अपशिष्ट का निपटान एवं प्रवन्धन निम्नानुसार किया जाएगा:-
- (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ठोस अपिशष्ट का निपटान और प्रबंधन भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं. का.आ. 1357(अ), दिनांक 8 अप्रैल, 2016 के तहत प्रकाशित ठोस अपिशष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा। अकार्वनिक पदार्थो का निपटान पारिस्थितिकी संवेदी जोन से बाहर चिन्हित किए गए स्थानों पर पर्यावरण-अनुकूल रीति से किया जाएगा;
- (ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप ठोस अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल प्रबंधन (ईएसएम) अनुज्ञात किया जायेगा।
- (10) **जैव चिकित्सा अपशिष्ट.** जैव चिकित्सा अपशिष्ट का प्रवंधन निम्नानुसार किया जाएगा:-
- (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में जैव चिकित्सा अपिशष्ट का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय–समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 343 (अ), तारीख 28 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित जैव चिकित्सा अपिशिष्ट प्रवंधन नियम, 2016 के उपवंधों के अनुसार किया जाएगा।
- (ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप ठोस अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण अनुकुल प्रंबंधन अनुज्ञात किया जायेगा।

- THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY
- (11) प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रबंधन.- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रवंधन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.सा.का.िन 340(अ), तारीख 18 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रवंधन नियम, 2016 के उपवंधो के अनुसार किया जाएगा।
- (12) निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट का प्रबंधन.- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट का प्रवंधन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 317(अ), तारीख 29 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रवंधन नियम, 2016 के उपवंधों के अनुसार किया जाएगा।
- (13) **ई-अपशिष्ट.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ई-अपशिष्ट का प्रवंधन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रकाशित तथा समय-समय पर यथा संशोधित ई-अपशिष्ट प्रवंधन नियम, 2016 के उपवंधों के अनुसार किया जाएगा।
- (14) सड़क-यातायात.- सड़क-यातायात को पर्यावास-अनुकूल तरीके से विनियमित किया जाएगा और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध शामिल किए जाएंगे। आंचलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित होने तक, मानीटरी समिति प्रासंगिक अधिनियमों और उनके तहत बनाए गए नियमों एवं विनियमों के अनुसार सड़क-यातायात के अनुपालन की मानीटरी करेगी।
- (15) **वाहन जनित प्रदूषण.-** वाहन जनित प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण लागू विधियों के अनुसार किया जाएगा। स्वच्छतर ईंधन के उपयोग के लिए प्रयास किए जाएंगे ।
- (16) **औद्योगिक ईकाइयां.-** (i) सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख को या उसके बाद पारिस्थितिकी संवेदी जोन में किसी नए प्रदूषणकारी उद्योग की स्थापना अनुज्ञात नहीं होगी।
- (ii) जब तक इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो, पारिस्थितिकी संवेदी जोन में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी दिशानिर्देशों में किए गए उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार केवल गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों की स्थापना अनुज्ञात होगी। इसके अतिरिक्त, गैर-प्रदूषणकारी कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा।
- (17) **पहाड़ी ढलानों का संरक्षण.-** पहाड़ी ढलानों का संरक्षण निम्नानुसार किया जाएगा:-
 - (क) आंचलिक महायोजना में पहाड़ी ढलानों के उन क्षेत्रों को दर्शाया जाएगा जिनमें किसी भी संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी;
 - (ख) जिन ढलानों या विद्यमान खड़ी पहाड़ी ढलानों में अत्यधिक भू-क्षरण होता है उनमें किसी भी संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी।
- 4. पारिस्थितिकी संवेदी जोन में निषिद्ध या विनियमित किए जाने वाले क्रियाकलापों की सूची- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप, पर्यावरण अधिनियम के उपवंधों तथा उसके अधीन वने नियमों और तटीय विनियमन जोन अधिसूचना, 2011 एवं पर्यावरणीय प्रभाव आकलन अधिसूचना, 2006 सहित वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (1980 का 69), भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16), वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53), अन्य लागू नियमों तथा उनमें किए गए संशोधनों के अनुसार शासित होंगे और नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट रीति से विनियमित होंगे, अर्थात्:-

[भाग !!—खण्ड 3(ii)]

भारत का राजपत्र : असाधारण

9

सारणी

क्रम सं.	क्रियाकलाप	टिप्पणी		
(1)	(2)	(3)		
	क. निषिद्ध क्रियाकलाप			
1.	वाणिज्यिक खनन, पत्थर उत्खनन	(क) वास्तविक स्थानीय निवासियों की घरेलू आवश्यकताओं जिसमें		
	और क्रशिंग इकाईयां।	निजी उपयोग के लिए मकानों के संनिर्माण या मरम्मत के लिए मिट्टी		
		को खोदना और मकान बनाने और व्यक्तिगत उपभोग के लिए देशी		
		टाइल्स या ईंटों का निर्माण करना भी सम्मिलित है, के सिवाय सभी		
		प्रकार के नए और विद्यमान खनन (लघु और वृहत खनिज), पत्थर की		
		खानें और उनकों तोड़ने की इकाइयां तत्काल प्रभाव से निषिद्ध होगी;		
		(ख) खनन संक्रियाएं, माननीय उच्चतम न्यायालय की 1995 द्वारा रिट		
]		याचिका (सिविल) सं. 202 में टी.एन. गौडाबर्मन थिरुमूलपाद बनाम		
		्रा भारत संघ के मामले में आदेश तारीख 4 अगस्त, 2006 और 2012 की		
		 रिट याचिका (सी) सं. 435 में गोवा फाउंडेशन बनाम भारत संघ के		
i		मामले में तारीख 21 अप्रैल, 2014 के आदेश के अनुसरण में प्रचालित		
		की जाएंगी।		
2.	प्रदूषण (जल, वायु, मृदा, ध्वनि,	पारिस्थितिकी संवेदी जोन में कोई नया उद्योग लगाने और वर्तमान		
	आदि) उत्पन्न करने वाले उद्योगों की	प्रदूषणकारी उद्योगों का विस्तार करने की अनुमति नहीं होगीः		
	स्थापना ।	जब तक कि इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो, पारिस्थितिकी		
		संवेदी जोन में फरवरी, 2016, में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा		
		जारी दिशानिर्देशों में किए गए उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार केवल		
		गैर- प्रदूषणकारी उद्योगों की स्थापना होगी। इसके अतिरिक्त, गैर-		
		प्रदूषणकारी कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाएगा।		
3.	जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना।	लागू विधियों के अनुसार निषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।		
4.	किसी परिसंकटमय पदार्थ का	लागू विधियों के अनुसार निषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।		
	प्रयोग या उत्पादन या प्रस्संकरण ।			
5.	प्राकृतिक जल निकायों या भूमि	लागू विधियों के अनुसार निषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।		
	क्षेत्र में अनुपचारित बहिस्रावों का निस्सारण।			
6.	नई आरा मिलों की स्थापना।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर नई और विद्यमान आरा मिलों का		
0.		विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा।		
7.	ईंट भट्टों की स्थापना करना।	लागू विधियों के अनुसार निषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।		
	•	इ.विनियमित क्रियाकलाप		
8.	होटलों और रिसोर्टों की वाणिज्यिक	पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलापों हेतु लघु अस्थायी संरचनाओं के		
	स्थापना ।	निर्माण के सिवाय, संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के		
		भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी		
		अधिक निकट हो, नए वाणिज्यिक होटलों और रिसोटो की स्थापना		
		अनुज्ञात नहीं होगी:		
		परंतु, संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर बाहर या		
		पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, पर्यटन महायोजना और		
		लागू दिशानिर्देशों के अनुसार इनमें जो भी अधिक निकट हो, सभी नए		

		पर्यटन क्रियाकलाप करने या विद्यमान क्रियाकलापों का विस्तार करने की अनुज्ञा होगी।
9.	संनिर्माण क्रियाकलाप ।	(क) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक जो भी निकट हो, किसी भी प्रकार का वाणिज्यिक संनिर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा:
		परंतु स्थानीय लोगों को पैराग्राफ 3 के उप पैराग्राफ (1) में सूचीबद्ध
		क्रियाकलापों सहित उनके उपयोग के लिए उनकी भूमि में स्थानीय
		निवासियों की आवासीय आवश्यकताओं को पूरा करने लिए संनिर्माण
		करने की अनुमति भवन उपविधियों के अनुसार दी जाएगी।
		परन्तु ऐसे लघु उद्योगों जो प्रदूषण उत्पन्न नहीं करते हैं, से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप विनियमित किए जाएंगे और लागू नियमों और
		विनियमों, यदि कोई हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति
		से ही न्यूनतम पर रखे जाएंगे। (ख) एक किलोमीटर से आगे आंचलिक महायोजना की अनुसार विनियमित होंगे।
10.	गैर प्रदूषणकारी लघु उद्योग।	फरवरी, 2016 में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण वोर्ड द्वारा जारी उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार गैर-प्रदूषणकारी उद्योग तथा अपरिसंकटमय लघु और सेवा उद्योग, कृषि, पुष्प कृषि, वागवानी या कृषि आधारित उद्योग, जो पारिस्थितिकी संवेदी जोन से देशी सामग्रियों से उत्पाद वनाते हैं, सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुजात होंगे।
11.	वृक्षों की कटाई।	(क) राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन
		भूमि या सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर वृक्षों की कटाई नहीं होगी।
		(ख) वृक्षों की कटाई केंद्रीय या संबंधित राज्य के अधिनियम या उसके
		अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार विनियमित होगी।
12.	वन उत्पादों और गैर काष्ठ वन उत्पादों का संग्रहण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
13.	विद्युत और संचार टॉवर लगाने,	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा (भूमिगत केवल विछाने को
	तार-बिछाने तथा अन्य बुनियादी ढांचे की व्यवस्था।	बहावा दिया जाएगा)।
14.	नागरिक सुविधाओं सहित बुनियादी ढांचा।	लागू विधियों के अनुसार न्यूनीकरण उपायों नियम और विनियमन और उपलब्ध दिशानिर्देशों के साथ किए जाएंगे।
15.	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना,	लागू विधियों के अनुसार न्यूनीकरण उपायों नियमों और विनियमन
	उन्हें सुदृढ वनाना और नई सड़कों का निर्माण।	और उपलब्ध दिशानिर्देशों के साथ किए जाएंगे।
16.	पर्यटन से संबंधित अन्य क्रियाकलाप जैसे कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन क्षेत्र के ऊपर से गर्म	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
	वायु के गुळ्वारे, हेलीकाप्टर, ड्रोन, माइक्रोलाइट्स उड़ाना आदि।	
17.	पहाड़ी ढलानों और नदी तटों का	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
17.	संरक्षण।	
18.	रात्रि में वाहन यातायात का	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित
	संचलन ।	होगा।

[भाग ।।—खण्ड 3(ii)]

भारत का राजपत्र : असाधारण

11

19.	स्थानीय जनता द्वारा अपनायी जा रही वर्तमान कृषि और बागवानी पद्धतियों के साथ डेयरियां, दुग्ध उत्पादन, जल कृषि और मत्स्य पालन।	स्थानीय जनता के प्रयोग के लिए लागू विधियों के अधीन अनुज्ञात होंगे।
20.	फर्मों, कारपोरेट, कंपनियों द्वारा वड़े पैमाने पर वाणिज्यिक पशुधन संपदा और कुक्कुट फार्मों की स्थापना।	स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लागू विधियों के अधीन विनियमित (अन्यथा प्रदान किए गए) होंगे।
21.	प्राकृतिक जल निकायों या भू क्षेत्र में उपचारित अपशिष्ट जल/वहिर्स्नाव का निस्सारण।	जल निकायों में उपचारित अपिशष्ट जल/विहर्म्माव के निस्सारण से वचा जाएगा। उपचारित अपिशष्ट जल के पुनर्चक्रण और पुन:उपयोग के प्रयास किए जाएंगे अन्यथा उपचारित अपिशष्ट जल/विहर्म्माव का निस्सारण लागू विधियों के अनुसार विनियमित किया जाएगा।
22.	सतही और भूजल का वाणिज्यिक प्रयोग एवं निष्कर्षण ।	लाग् विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
23.	ठोस अपशिष्ट निपटान स्थल और सामान्य जलाए जाने की सुविधा के लिए ठोस और जैव चिकित्सा अपशिष्ट की स्थापना।	लाग् विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
24.	कृषि या अन्य प्रयोग के लिए खुले कुएं/ बोर कुएं आदि का निर्माण।	समुचित प्राधिकारी द्वारा विनियमित किया जाएगा तथा क्रियाकलाप की सख्त निगरानी की जाएगी।
25.	ठोस अपशिष्ट का प्रवंधन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
26.	विदेशी प्रजातियों को लाना ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
27.	पारिस्थितिकी पर्यटन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
28.	पोलिथीन वैगों का प्रयोग।	लाग् विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
29.	वाणिज्यिक संकेत बोर्ड और होर्डिंग का प्रयोग ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
		ग.संवर्धित क्रियाकलाप
30.	वर्षा जल संचय।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
31.	जैविक खेती।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
32.	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी का अंगीकरण ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
33.	ग्रामीण कारीगरी सहित कुटीर उद्योग।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
34.	नवीकरणीय ऊर्जा और ईंधन का प्रयोग।	वायोगैस, सौर प्रकाश इत्यादि को सक्रिय बढ़ावा दिया जाएगा।
35.	कृषि वानिकी ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
36.	वागान लगाना और जड़ी वूटियों का रोपण।	
37.	पारिस्थितिकी अनुकूल यातायात का प्रयोग ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
38.	कौशल विकास ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।

12	THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY	[PART II—SEC. 3(ii)]

39.	अवक्रमित भूमि/वनों/ पर्यावासों की बहाली।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
40.	पर्यावरण के प्रति जागरुकता।	सक्रिय रूप से बद्रावा दिया जाएगा ।

5. पारिस्थितिकी-संवेदी जोन अधिसूचना की निगरानी के लिए निगरानी सिमिति.- प्रभावी निगरानी के लिए प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उपधारा (3) द्वारा, एक निगरानी सिमिति का गठन करेगी जो निम्नलिखित से मिलकर वनेगी, अर्थात्:

क्र.सं.	निगरानी समिति का गठन	पद
(i)	जिला कलेक्टर एर्नाकुलम	पदेन, अध्यक्ष;
(ii)	विधान सभा के सदस्य (एमएलए), एर्नाकुलम	सदस्य;
(iii)	3 साल की अवधि के लिए केरल सरकार द्वारा नामित पारिस्थितिकी और पर्यावरण के क्षेत्र में एक विशेषज्ञ	सदस्य;
(iv)	केरल राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी	सदस्य;
(v)	केरल सरकार द्वारा 3 वर्षों की अवधि के लिए गैर-सरकारी संगठनों का एक प्रतिनिधि (विरासत संरक्षण सहित पर्यावरण के क्षेत्र में कार्यरत)	सदस्य;
(vi)	केरल वन अनुसंधान संस्थान से वन्यजीव विशेषज्ञ	सदस्य;
(vii)	कोचीन निगम का नगर नियोजन अधिकारी	सदस्य;
(viii)	संबंधित वार्ड / मंडल के निगम पार्षद	सदस्य;
(ix)	मंगलवनम समरसता समिति के अध्यक्ष / सचिव	सदस्य;
(x)	केरल सरकार द्वारा 3 वर्षों के लिए नामित जैव विविधता में विशेषज्ञ	सदस्य;
(xi)	वन्यजीव वार्डन	सदस्य- सचिव

6.विचारार्थ विषय:- (1) निगरानी समिति इस अधिस्चना के उपवंधों के अनुपालन की निगरानी करेगी।

- (2) निगरानी समिति का कार्यकाल तीन वर्ष तक या राज्य सरकार द्वारा नई समिति का पुनर्गठन किए जाने तक होगा और इसके बाद निगरानी समिति राज्य सरकार द्वारा गठित की जाएगी।
- (3) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची में सम्मिलित क्रियाकलापों और इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन सारणी में यथा विनिर्दिष्ट निषिद्ध गतिविधियों के सिवाय आने वाले ऐसे क्रियाकलापों की दशा में वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित निगरानी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण अनापत्ति लेने के लिए केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट की जाएगी।
- (4) इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन सारणी में यथा विनिर्दिष्ट निषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 की अधिसूचना के अनुसूची के अधीन ऐसे क्रियाकलापों, जिन्हें सम्मिलित नहीं किया गया है, परंतु पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आते हैं,

[भाग 11—खण्ड 3(ii)]

भारत का राजपत्र : असाधारण

13

- ऐसे क्रियाकलापों की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित निगरानी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्घ विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा ।
- (5) निगरानी समिति का सदस्य-सचिव या संबद्ध उपायुक्त या संबंधित उपायुक्त ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण अधिनियम की धारा 19 के अधीन परिवाद दायर करने के लिए सक्षम होगा।
- (6) निगरानी समिति संबंधित विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संघों के प्रतिनिधियों या संबंधित पक्षों को, प्रत्येक मामले मे आवश्यकता के अनुसार, अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी।
- (7) निगरानी समिति प्रत्येक वर्ष 31 मार्च की स्थिति के अनुसार अपनी वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को, <mark>उपाबंध IV</mark> में दिए गए प्रपत्र के अनुसार, उस वर्ष की 30 जून तक प्रस्तुत करेगी।
- (8) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय निगरानी समिति को उसके कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए ऐसे निदेश दे सकेगा जो वह उचित समझे।
- 7. इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार, अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगी।
- 8. इस अधिसूचना के उपबंध भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित किए गए या पारित किए जाने वाले आदेश, यदि कोई हो, के अध्यधीन होंगे।

[फा.सं. 25/32/2017-ईएसजेड]

डॉ. सतीश चन्द्र गढ़कोटी, वैज्ञानिक 'जी'

उपाबंध- ।

क. केरल राज्य में मंगलवनम पक्षी अभयारण्य की सीमा का विवरण


दिशा	सीमाएं
उत्तर	भारत पेट्रोलियम लिमिटेड कैम्पस
दक्षिण	पुराना एर्नाकुलम रेलवे स्टेशन
पूर्व	पुराना एर्नाकुलम रेलवे स्टेशन
पश्चिम	केन्द्रीय समुद्री मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान एवं सलीम अली सड़क

ख: केरल राज्य में मंगलवनम पक्षी अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का विवरण


दिशा	सीमा
उत्तर	एचपीसीएल भूमि, कोचिन पोर्ट ट्रस्ट की भूमि
दक्षिण	सलीम अली सड़क, हाईकोर्ट की भूमि
पूर्व	मथाई मजुरन सड़क
पश्चिम	केन्द्रीय समुद्री मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान एवं अब्राह्म मादामक्कल सड़क

उपाबंध-॥क

मुख्य अवस्थानों के अक्षांश और देशांतर के साथ मंगलवनम पक्षी अभयारण्य और इसके पारिस्थितिकी संवेदी जोन का



उपाबंध-IIख मुख्य अवस्थानों के अक्षांश और देशांतर के साथ मंगलवनम पक्षी अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन गूगल मानचित्र



उपाबंध-॥ग

भारतीय सर्वेक्षण (एसओआई) टोपोशीट पर मुख्य अवस्थानों के अक्षांश और देशांतर के साथ मंगलवनम पक्षी अभयारण्य के

पारिस्थितिकी संवेदी जोन का मानचित्र



उपाबंध-III

सारणी क : मंगलवनम पक्षी अभयारण्य के मुख्य अवस्थानों के भू-निर्देशांक

मार्ग बिंदु सं.	अक्षांश	देशांतर
1	ਰ 9⁰59'340"	पू 76º16'348"
2	ਚ 9⁰59′254″	पू 76º16.396"
3	ਤ 9⁰59'320"	पू 76º16.455"
4	ਰ 9⁰59'333"	पू 76º16.468"
5	ਰ 9⁰59' 377"	पू 76º16.451"
6	ਰ 9⁰59' 388"	पू 76º16.446"

सारणी ख: पारिस्थितिकी संवेदी जोन के मुख्य अवस्थानों के भू-निर्देशांक

मार्ग बिंदु सं.	अवस्थान	अक्षांश	देशांतर
7	राममोहन पैलेस	ਤ 9⁰59' 193"	पू- 76º16.432'
8	आरंभिक सलीम अली सड़क	ਤ 9⁰59′ 229″	पू -76º16.524"
9	मथाई मनजुरन सड़क	ਰ 9⁰59' 319"	पू -76º16.551"
10	11	ਰ 9º59' 316"	पू- 76º16.553"
11	11	ਤ 9⁰ 59′ 441″	पू- 76º16.594"
12	11	ਰ 9º 59' 612"	पू- 76º16.645"
13	19	ਤ 9⁰59' 629"	पू- 76º16.628"
14	31	ਰ 9⁰59, 674"	पू-76º16.641"
15	एच पी सी एल गेट	ਰ 9⁰59' 841"	पू-76º16.692"
16	मथाई मनजुरन सड़क	ਰ 9º59, 866"	पू-76º16.701"
17	मरीना	ਤ 9⁰59,920"	पू-76º16.515"
18	तीर्तवम सीमा	ਤ 9º59, 804"	पू-76º16.538"
19	हरित एकड़ एवं एच यू एल	ਰ 9⁰ 59' 815"	पू-76º16.579"
20	n	ਚ 9⁰59' 800"	पू-76º16.562"
21	11	ਰ 9⁰59′ 775″	पू-76º16.561"
22	51	ਤ 9º59' 774"	पू-76º16.555"
23	,,	ਤ 9⁰59' 753"	पू-76º16.556"
24	1)	ਰ 9⁰59' 750"	पू-76º16.517"
25	"	ਤ 9⁰59′ 738″	पू-76º16.514"
26	11	ਰ 9º 59' 759"	पू-76º16.440"
27	1)	ਰ 9⁰59′ 748″	पू-76º16.404"
28	ग्रीन अक्कीका और एच यू एल	ਤ 9059' 747"	पू-76º16.357"
29	एच यू एल	ਰ 9⁰59' 699"	पू -76º16.373"

4	_
1	O
- 6	ж

THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY

[PART II—SEC. 3(ii)]

30	एच यू एल फैक्टरी	ਚ 9⁰59' 640"	पू -76º16.389"
31	एच यू एल फैक्टरी	ਰ 9⁰59′ 630″	पू -76º16.366"
32	एच यू एल फैक्टरी	ਰ 9⁰59' 589"	पू -76º16.377"
33	कैनल	ਰ 9⁰59' 539"਼	पू -76º16.321"
34	अब्राहम मादामक्कल सड़क	ਤ 9⁰ 59' 518"	पू -76º16.233"
35	वी पी सी एल पम्प	ਰ 9⁰59, 425"	पू -76º16.257"
36	सी एम एफ आर आई एवं वी पी सी एल	ਤ 9⁰59' 314"	पू -76º16.292"

उपाबंध-IV

की गई कार्रवाई सम्बन्धी रिपोर्ट का प्रपत्र:-

- 1. बैठकों की संख्या और तारीख।
- 2. बैठकों का कार्यवृत : (कृपया मुख्य उल्लेखनीय विंदुओं का वर्णन करें । बैठक के कार्यवृत को एक पृथक उपवंध में प्रस्तुत करें) ।
- 3. पर्यटन महायोजना सहित आंचलिक महायोजना की तैयारी की स्थिति।
- 4. भू-अभिलेखों की स्पष्ट त्रुटियों के सुधार के लिए निवटाए गए मामलों का सार(पारिस्थितिकी-संवेदी जोन वार)। विवरण उपवंध के रूप में संलग्न करें।
- 5. पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली गतिविधियों से संबंधित संवीक्षा किए गए मामलों का सार।(विवरण एक पृथक उपबंध के रूप में संलग्न करें)।
- 6. पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली गतिविधियों से संबंधित संवीक्षा किए गए मामलों का सार। (विवरण एक पृथक उपवंध के रूप में संलग्न करें)।
- 7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सार।
- 8. कोई अन्य महत्वपूर्ण मामला।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE NOTIFICATION

New Delhi, the 7th September, 2020

S.O. 3033(E).—In supersession of Ministry's draft notification S.O. 2810 (E), dated 28th August, 2017, the following draft of the notification, which the Central Government proposes to issue in exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with clause (v) and clause (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) is hereby published, as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, for the information of the public likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft notification shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing this notification are made available to the public;

Any person interested in making any objections or suggestions on the proposals contained in the draft notification may forward the same in writing, for consideration of the Central Government within the period so specified to the Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Indira Paryavaran Bhawan, Jorbagh Road, Aligani, New Delhi-110 003, or send it to the e-mail address of the Ministry at esz-mef@nic.in

[भाग] [—खण्ड 3(ii)]

भारत का राजपत्र : असाधारण

19

Draft Notification

WHEREAS, the Mangalavanam Bird Sanctuary spread over an area of 0.0274 square kilometres is located in Ernakulam Village of Kanayannoor Taluk in Ernakulam district in the State of Kerala. The Sanctuary was notified as Bird sanctuary as per G. O. (MS) No. 42104/F & WLD dated 31st August, 2004 under section 18 of Wildlife (Protection) Act, 1972 and the boundaries of the area are demarcated and consolidated. The protected area is under the control of Assistant Conservator of Forests, NSC, Kalady who also holds full additional charge of Wildlife Warden, Mangalavanam Bird Sanctuary;

AND WHEREAS, the protected area falls under West Coast (SA) biographic zone. The true mangrove and mangrove associate species that exist in the area are Avicenia officinalis. Rhizophora mucronata. Acanthus ilicifolius and Acrostichus aureum. There are totally 30 floral species in Mangalavanam Bird Sanctuary. The major flora available in the Sanctuary are Acanthus ilicifolius, Acrostichum aureum, Alternanthera sp, Avicennia officinalis, Azadirachta indica, Caryota urens, Ceiba pentandra, Coccinia grandis, Cuscuta reflexa, Derris trifoliate, Enterolobium saman, Eucalyptus sp, Ficus gibbosa, Hibiscus tiliaceus, Hydnocarpus alpine, Hygrophila sp, Ipomoea sp, Morinda tinctoria, Polyalthia longifolia, Pongamia pinnata, Rhizophora mucronata, Tectona grandis, Terminalia catappa, Tinospora cordifolia, Woodina odiyar, etc;

AND WHEREAS, the existence of Mangalavanam Bird Sanctuary supporting good number of avifauna, bats, other animals and other floral species including mangroves amidst a busy city like Emakulam is very vital. The important avifauna of the Sanctuary are large cormorant (Phalacrocorax carbo), little cormorant (Phalacrocorax niger), darter (Anhinga rufa), grey heron (Ardea cinerea), purple heron (Ardea purpurea), pond heron (Ardeola grayii), cattle egret (Bubulcus ibis), large egret (Ardea alba), smaller median egret (Egretta intermedia), little egret (Egretta garzetta), night heron (Nycticorax nycticorax), lesser whistling teal (Dendrocygna javanica), blackwinged kite (Elanus caeruleus), pariah kite (Milvus migrans), brahminy kite (Haliastur indus), Indian shikra (Accipiter badius), crested serpent eagle (Spilornis cheela), whitebreasted waterhen (Amaurornis phoenicurus), redwattled lapwing (Vanellus indicus), marsh sandpiper (Tringa stagnatilis), wood sandpiper (Tringa glareola), blue rock pigeon (Columba livia), Indian ring dove (Streptopelia decaocto), spotted dove (Streptopelia chinensis), rose-ringed parakeet (Psittacula krameri), southern blossom headed parakeet (Psittacula cyanocephala), pied crested cuckoo (Clamator jacobinus), brainfever bird (Cuculus varius), Indian koel (Eudynamys scolopacea), common crow-pheasant (Centropus sinensis), spotted owlet (Athene brama), house swift (Apus affinis), palm swift (Cypsiurus parvus), lesser pied kingfisher (Ceryle rudis), small blue kingfisher (Alcedo atthis), storkbilled kingfisher (Pelargopsis capensis), whitebreasted kingfisher (Halcyon smyrnensis), whitecollard kingfisher (Halcyon chloris), small green bee-eater (Merops orientalis), Indian roller (Coracias benghalensis), hoopoe (Upupa epops), grey hornbill (Tockus birostris), large green barbet (Megalaima zeylanica), small green barbet (Megalaima viridis), crimsonbreasted barbet (Megalaima haemacephala), lesser goldenbacked woodpecker (Dinopium benghalense), ashycrowned finch lark (Eremopterix grisea), sky lark (Alauda sp.), wire-tailed swallow (Hirundo smithii), golden oriole (Oriolus oriolus), black drongo (Dicrurus adsimilis), ashy swallow-shrike (Artamus fuscus), common myna (Acridotheres tristis), jungle myna (Acridotherus fuscus), Indian tree pie (Dendrocitta vagabunda), house crow (Corvus splendens), jungle crow (Corvus macrorhynchos), gold mantled chloropsis (Chloropsis cochinchinensis), redwhiskered bulbul (Pycnonotus jacosus), whitecheeked bulbul (Pycnonotus leucogenys), redvented bulbul (Pycnonotus cafer), whiteheaded babbler (Turdoides affinis), ashy wren-warbler (Prinia socialis), tailor bird (Orthotomus sutorius), magpie robin (Copsychus saularis), pied bush chat (Saxicola caprata), Indian robin (Saxicoloides fulicata), white wagtail (Motacilla alba), large pied wagtail (Motacilla maderaspatensis), small sunbird (Nectarinia minima), purple sunbird (Nectarinia asiatica), house sparrow (Passer domesticus), etc;

AND WHEREAS, the mangroves with a unique combination of specialized plants and animals are known for their ecological functions. They play an important role in stabilizing the land along the coast and backwaters. These specialized ecosystems accommodate a variety of marine and freshwater organisms as their nursery and feeding grounds. There is only 900 hectare of mangrove areas left within the State. Most of the mangrove areas within the state fall under either private ownership or revenue land and are worst disturbed due to varieties of developmental activities;

AND WHEREAS, Mangalavanam Bird Sanctuary with a small extent of 2.74 hectare of tidal wetland supports mangrove vegetation which comprises of five species of mangroves and 25 of other floral species. This patch of mangrove forest used to support an avifauna of 97 species. It is fascinating to note that the small area in the midst of busy Ernakulam city is used by species of aquatic avifauna for nesting;

AND WHEREAS, apart from wetland birds, considerable number of migratory avian species visits Mangalavanam Bird Sanctuary seasonally and it is a nesting site for other avian colonial nesters. There is a colony of bats (Indian flying fox) consisting of approximately 1000 number of bats;

AND WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the area, the extent and boundaries of Mangalavanam Bird Sanctuary which are specified in paragraph 1 as Eco-sensitive Zone from ecological, environmental and biodiversity point of view and to prohibit industries or class of industries and their operations and processes in the said Eco-sensitive Zone;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of Section 3 of the Environment (Protection) Act 1986 (29 of 1986) (hereafter in this notification referred to as the Environment Act) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area to an extent varying from 0 (zero) to 1.0 kilometre around the boundary of Mangalavanam Bird Sanctuary, in Ernakulam district in the State of Kerala as the Ecosensitive Zone (hereafter in this notification referred to as the Eco-sensitive Zone) details of which are as under, namely:

Extent and boundaries of Eco-sensitive Zone. – (1) The Eco-sensitive Zone shall be to an extent of 0 (zero) to
1.0 kilometre around the boundary of Mangalavanam Bird Sanctuary and the area of the Eco-sensitive Zone is
0.53 square kilometres which has inclusive of land belonging to Southern Railway, BPCL, HUL, GCDA, HPCL,
Port Trust, KSEB sub-station, Pundit Karuppan Smarakam, LMCC Convent and other private lands. The extent of
Eco-sensitive Zone at various direction of the Sanctuary are given below:

Direction	Extents
North	1 kilometre
South	130 meter
East	160 meter
West	0
North East	1 kilometre
North West	666 meter
South East	219 meter
South West	0

Zero extent of Eco-sensitive Zone in the south west boundaries of Mangalavanam Bird Sanctuary is due to bordered with very old buildings of Kerala High Court and Central Marine Fisheries Research Institute.

- (2) The boundary description of Mangalavanam Bird Sanctuary and its Eco-sensitive Zone is appended in Table A and Table B of Annexure-I.
- (3) The maps of the Mangalavanam Bird Sanctuary demarcating Eco-sensitive Zone along with boundary details and latitudes and longitudes are appended as Annexure-IIA, Annexure-IIB, and Annexure-IIC.
- (4) List of geo-coordinates of the boundary of Mangalavanam Bird Sanctuary and Eco-sensitive Zone are given in Table A and Table B of Annexure III.
- (5) There are no villages inside the Eco-sensitive Zone of Mangalavanam Bird Sanctuary.
- 2. Zonal Master Plan for Eco-sensitive Zone.-(1) The State Government shall, for the purposes of the Eco-sensitive Zone prepare a Zonal Master Plan within a period of two years from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification for approval of the competent authority of State.
 - (2) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.
 - (3) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with the following Departments of the State Government, for integrating the ecological and environmental considerations into the said plan:-
 - (i) Environment;
 - (ii) Forest and Wildlife;
 - (iii) Local Self Government Department (LSGD);
 - (iv) Kerala State Pollution Control Board
 - (v) Agriculture;
 - (vi) Revenue;
 - (vii) Urban Development;
 - (viii) Tourism;
 - (ix) Rural Development;
 - (x) Irrigation and Flood Control;

[भाग]]—खण्ड 3(ii)]

भारत का राजपत्र : असाधारण

21

- (xi) Municipal;
- (xii) Panchayati Raj; and
- (xiii) Public Works Department.
- (4) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.
- (5) The Zonal Master Plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.
- (6) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, villages and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies with supporting maps giving details of existing and proposed land use features.
- (7) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone and adhere to prohibited and regulated activities listed in the Table in paragraph 4 and also ensure and promote eco-friendly development for security of local communities' livelihood.
- (8) The Zonal Master Plan shall be co-terminus with the Regional Development Plan.
- (9) The Zonal Master Plan so approved shall be the reference document for the Monitoring Committee for carrying out its functions of monitoring in accordance with the provisions of this notification.
- 3. Measures to be taken by the State Government. The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-
 - (1) Land use.— (a) Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for commercial or residential or industrial activities:

Provided that the conversion of agricultural and other lands, for the purposes other than that specified at part (a) above, within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of Central Government or State Government as applicable and *vide* provisions of this Notification, to meet the residential needs of the local residents and for activities such as:-

- (i) widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;
- (ii) construction and renovation of infrastructure and civic amenities;
- (iii) small scale industries not causing pollution;
- (iv) cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including home stay; and
- (v) promoted activities given under paragraph 4:

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of the State Government and without compliance of the provisions of Article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

Provided also that the correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph.

- (b) Efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas with afforestation and habitat restoration activities.
- (2) Natural water bodies. The catchment areas of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be

drawn up by the State Government in such a manner as to prohibit development activities at or near these areas which are detrimental to such areas.

- (3) Tourism or Eco-tourism.- (a) All new eco-tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be as per the Tourism Master Plan for the Eco-sensitive Zone.
 - (b) The Eco-Tourism Master Plan shall be prepared by the State Department of Tourism in consultation with State Departments of Environment and Forests.
 - (c) The Tourism Master Plan shall form a component of the Zonal Master Plan.
 - (d) The Tourism Master Plan shall be drawn based on the study of carrying capacity of the Eco-sensitive Zone.
 - (e) The activities of eco-tourism shall be regulated as under, namely:-
 - (i) new construction of hotels and resorts shall not be allowed within one kilometre from the boundary of the protected area or upto the extent of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer:

Provided that beyond the distance of one kilometre from the boundary of the protected area till the extent of the Eco-sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be allowed only in pre-defined and designated areas for eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan;

- (ii) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by National Tiger Conservation Authority (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism, ecoeducation and eco-development;
- (iii) until the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee and no new hotel, resort or commercial establishment construction shall be permitted within Eco-sensitive Zone area.
- (4) Natural heritage.- All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and a heritage conservation plan shall be drawn up for their preservation and conservation as a part of the Zonal Master Plan.
- (5) Man-made heritage sites.- Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be identified in the Eco-sensitive Zone and heritage conservation plan for their conservation shall be prepared as part of the Zonal Master Plan.
- (6) Noise pollution. Prevention and control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone shall be complied in accordance with the provisions of the Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000 under the Environment Act.
- (7) Air pollution.- Prevention and control of air pollution in the Eco-sensitive Zone shall be compiled in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and the rules made thereunder.
- (8) Discharge of effluents.- Discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the General Standards for Discharge of Environmental Pollutants covered under the Environment Act and the rules made thereunder or standards stipulated by State Government whichever is more stringent.
- (9) Solid wastes.- Disposal and Management of solid wastes shall be as under:-
 - (a) the solid waste disposal and management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Solid Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number S.O. 1357 (E), dated the 8th April, 2016; the inorganic material may be disposed in an environmental acceptable manner at site identified outside the Eco-sensitive Zone;
 - (b) safe and Environmentally Sound Management (ESM) of Solid wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within Eco-sensitive Zone.

- (10) Bio-Medical Waste.- Bio-Medical Waste Management shall be as under:-
 - (a) the Bio-Medical Waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Bio-Medical Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 343 (E), dated the 28th March, 2016.
 - (b) safe and Environmentally Sound Management of Bio-Medical Wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within the Eco-sensitive Zone.
- (11) Plastic waste management.- The plastic waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Plastic Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number G.S.R. 340(E), dated the 18th March, 2016, as amended from time to time.
- (12) Construction and demolition waste management.- The construction and demolition waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number G.S.R. 317(E), dated the 29th March, 2016, as amended from time to time.
- (13) E-waste.- The e waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the E-Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, as amended from time to time.
- (14) Vehicular traffic.— The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master plan is prepared and approved by the Competent Authority in the State Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.
- (15) Vehicular pollution.- Prevention and control of vehicular pollution shall be incompliance with applicable laws and efforts shall be made for use of cleaner fuels.
- (16) Industrial units.— (i) On or after the publication of this notification in the Official Gazette, no new polluting industries shall be permitted to be set up within the Eco-sensitive Zone.
 - (ii) Only non-polluting industries shall be allowed within Eco-sensitive Zone as per the classification of Industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016, unless so specified in this notification, and in addition, the non-polluting cottage industries shall be promoted.
- (17) Protection of hill slopes.- The protection of hill slopes shall be as under:-
 - (a) the Zonal Master Plan shall indicate areas on hill slopes where no construction shall be permitted;
 - (b) construction on existing steep hill slopes or slopes with a high degree of erosion shall not be permitted.
- 4. List of activities prohibited or to be regulated within Eco-sensitive Zone. All activities in the Eco sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment Act and the rules made there under including the Coastal Regulation Zone, 2011 and the Environmental Impact Assessment Notification, 2006 and other applicable laws including the Forest (Conservation) Act, 1980 (69 of 1980), the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927), the Wildlife (Protection) Act 1972 (53 of 1972), and amendments made thereto and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

TABLE

S. No.	Activity	TABLE Description
(1)	(2)	(3)
· · · · ·		rohibited Activities
1.		(a) All new and existing mining (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units are prohibited with immediate effect except for meeting the domestic needs of bona fide local residents including digging of earth for construction or repair of houses and for manufacture of country tiles or bricks for housing and for personal consumption;
		(b) The mining operations shall be carried out in accordance with the order of the Hon'ble Supreme Court dated the 4 th August, 2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. UOI in W.P.(C) No.202 of 1995 and dated the 21 st April, 2014 in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in W.P.(C) No.435 of 2012.
2.	Setting of industries causing pollution (Water, Air, Soil, Noise, etc.).	New industries and expansion of existing polluting industries in the Eco-sensitive Zone shall not be permitted:
		Provided that non-polluting industries shall be allowed within Eco-sensitive Zone as per classification of Industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016, unless otherwise specified in this notification and in addition the non-polluting cottage industries shall be promoted.
3.	Establishment of major hydro-electric project.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
4.	Use or production or processing of any hazardous substances.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
5.	Discharge of untreated effluents in natural water bodies or land area.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
6.	Setting up of new saw mills.	New or expansion of existing saw mills shall not be permitted within the Eco-sensitive Zone.
7.	Setting up of brick kilns.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
	B. Regu	llated Activities
8.	Commercial establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometer of the boundary of the protected area or upto the extent of Eco-sensitive Zone, whichever is nearer, except for small temporary structures for ecotourism activities:
		Provided that, beyond one kilometer from the boundary of the protected area or upto the extent of Eco-sensitive Zone whichever is nearer, all new tourist activities or expansion of existing activities shall be in conformity with the Tourism Master Plan and guidelines as applicable.
9.	Construction activities.	(a) New commercial construction of any kind shall not be permitted within one kilometer from the boundary of the protected area or upto extent of the Ecosensitive Zone, whichever is nearer:
		Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their use including the activities mentioned in subparagraph (1) of paragraph 3 as per building

भारत का राजपत्र : असाधारण

25

S. No.	Activity	Description
(1)	(2)	(3)
		bye-laws to meet the residential needs of the local residents.
		Provided further that the construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the competent authority as per applicable rules and regulations, if any.
		(b) Beyond one kilometer it shall be regulated as per the Zonal Master Plan.
10.	Small scale non polluting industries.	Non polluting industries as per classification of industries issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016 and non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous materials from the Eco-sensitive Zone shall be permitted by the competent Authority.
11.	Felling of trees.	(a) There shall be no felling of trees in the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the Competent Authority in the State Government.
		(b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Act and the rules made thereunder.
12.	Collection of Forest produce or Non- Timber Forest produce.	Regulated as per the applicable laws.
13.	Erection of electrical and communication towers and laying of cables and other infrastructures.	Regulated under applicable laws (underground cabling may be promoted).
14.	Infrastructure including civic amenities.	Taking measures of mitigation as per the applicable laws, rules and regulations available guidelines.
15.	Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads.	Taking measures of mitigation as per the applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
16.	Undertaking other activities related to tourism like flying over the Ecosensitive Zone area by hot air balloon, helicopter, drones, Microlites, etc.	Regulated as per the applicable laws.
17.	Protection of hill slopes and river banks.	Regulated as per the applicable laws.
18.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose under applicable laws.
19.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries.	Permitted as per the applicable laws for use of locals.
20.	Establishment of large-scale commercial livestock and poultry farms by firms, corporate and companies.	Regulated (except otherwise provided) as per the applicable laws except for meeting local needs.
21.	Discharge of treated waste water or effluents in natural water bodies or land area.	The discharge of treated waste water or effluents shall be avoided to enter into the water bodies and efforts shall be made for recycle and reuse of treated waste water.

THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY

[PART II—SEC. 3(ii)]

S. No.	Activity	Description	
(1)	(2)	(3)	
		Otherwise the discharge of treated waste water or effluen shall be regulated as per the applicable laws.	
22.	Commercial extraction of surface and ground water.	Regulated as per the applicable laws.	
23.	Establishment of solid waste disposal site and common incineration facility for solid and bio medical waste.	Regulated as per the applicable laws.	
24.	Open well, Bore well etc. for agriculture or other usage	Regulated and the activity should be strictly monitored by the appropriate authority.	
25.	Solid waste management.	Regulated as per the applicable laws.	
26.	Introduction of exotic species.	Regulated as per the applicable laws.	
27.	Eco-tourism.	Regulated as per the applicable laws.	
28.	Use of polythene bags.	Regulated as per the applicable laws.	
29.	Commercial sign boards and hoardings.	Regulated as per the applicable laws.	
	C. Pror	noted Activities	
30.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.	
31.	Organic farming.	Shall be actively promoted.	
32.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.	
33.	Cottage industries including village artisans, etc.	Shall be actively promoted.	
34.	Use of renewable energy and fuels.	Bio-gas, solar light etc. shall be actively promoted.	
35.	Agro-Forestry.	Shall be actively promoted.	
36.	Plantation of Horticulture and Herbals.	Shall be actively promoted.	
37.	Use of eco-friendly transport.	Shall be actively promoted.	
38.	Skill Development.	Shall be actively promoted.	
39.	Restoration of degraded land/ forests/ habitat.	Shall be actively promoted.	
40.	Environmental awareness.	Shall be actively promoted.	

5. Monitoring Committee for Monitoring the Eco-sensitive Zone Notification.- For effective monitoring of the provisions of this notification under sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986, the Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee, comprising of the following, namely:-

S. No.	Constituent of the Monitoring Committee	Designation
(i)	District Collector Ernakulam	Chairman, ex officio
(ii)	Member of the Legislative Assembly (MLA), Ernakulam	Member;
(iii)	An expert in the area of Ecology and Environment to nominated by the Government of Kerala for a period of 3 years	Member;
(iv)	Regional Officer from Kerala State Pollution Control Board	Member;
(v)	One Representative of Non-governmental Organizations (working in the field of environment including heritage conservation) to be nominated by the Government of Kerala for a period of 3 years	Member;
(vi)	Wildlife expert from Kerala Forest Research Institute	Member;

भाग 11—खण्ड 3(ii)]

भारत का राजपत्र : असाधारण

(vii)	Town Planning officer from Kochin Corporation	Member;
(viii)	Corporation Councillor of the concerned Ward / Division	
(ix)	President / Secretary of Mangalavanam Samrakshana Samithi	Member;
(x)	Expert in Biodiversity nominated by Kerala Government for 3 years	Member;
(xi)	Wildlife Warden	Member-Secretary.

- 6. Terms of reference. (1) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this notification.
 - (2) The tenure of the Monitoring committee shall be for three years or till the re-constitution of the new Committee by the State Government and subsequently the Monitoring Committee shall be constituted by the State Government.
 - (3) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.
- (4) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned regulatory authorities.
- (5) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Deputy Commissioner(s) shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment Act, against any person who contravenes the provisions of this notification.
- (6) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from industry associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.
- (7) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on the 31st March of every year by the 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden in the State as per proforma appended at Annexure IV.
- (8) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.
- 7. The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.
- 8. The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any passed or to be passed by the Hon'ble Supreme Court of India or High Court or the National Green Tribunal.

[F. No. 25/32/2017-ESZ]

Dr. SATISH C. GARKOTI, Scientist 'G'

THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY

[PART II—SEC. 3(ii)]

ANNEXURE- I

A. BOUNDARY DESCRIPTION MANGALAVANAM BIRD SANCTUARY IN THE STATE KERALA

Direction	Boundary
North	Bharath Petorlium Limited Campus
South	Old Ernakulam Railway Station
East	Old Ernakulam Railway Station
West	Central Marian Fisheries Research Institute & Salim Ali Road

B. BOUNDARY DESCRIPTION OF ECO-SENSITIVE ZONE AROUND MANGALAVANAM BIRD SANCTUARY IN THE STATE KERALA

Direction	Boundary
North	HPCL land, Cochin Port Trust land
South	Salim Ali Road, High Court land
East	Mathai Majuran Road
West	Central Marian Fisheries Research Institute & Abraham Madamadackal Road


[भाग II—खण्ड 3(ii)]

भारत का राजपत्र : असाधारण

29


ANNEXURE- IIA

LOCATION MAP OF MANGALAVANAM BIRD SANCTUARY AND ITS ECO-SENSITIVE ZONE ALONG WITH LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS



ANNEXURE- IIB

GOOGLE MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF MANGALAVANAM BIRD SANCTUARY ALONG WITH LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS



[भाग ।1—खण्ड 3(ii)]


भारत का राजपत्र : असाधारण

31

ANNEXURE-IIC

MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF MANGALAVANAM BIRD SANCTUARY ALONG WITH LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS ON SURVEY OF INDIA (SOI)

TOPOSHEET



ANNEXURE-III

TABLE A: GEO-COORDINATES OF PROMINENT LOCATIONS OF MANGALAVANAM BIRD SANCTUARY

Way point No.	Latitudes	Longitudes
1	N 9 ⁰ 59'340"	E 76°16′348″
2	N 9 ⁰ 59'254"	E 76 ⁰ 16.396"
3	N 9 ⁰ 59'320"	E 76 ⁰ 16.455"
4	N 9 ⁰ 59'333"	E 76 ⁰ 16.468"
5	N 9 ⁰ 59' 377"	E 76°16.451"
6	N 9°59′ 388″	E 76°16.446"

TABLE B: GEO-COORDINATES OF PROMINENT LOCATIONS OF ECO-SENSITIVE ZONE

Way point No.	Locations	Latitudes	Longitudes
7	Rammohan Palace	N 9 ⁰ 59' 193"	E- 76 ⁰ 16.432'
8	Salim Ali Road starting	N 9 ⁰ 59' 229"	E -76 ⁰ 16.524"
9	Mathai Manjuran Road	N 9 ⁰ 59' 319"	E -76 ⁰ 16.551"
10	77	N 9 ⁰ 59' 316"	E- 76 ⁰ 16.553"
11	77	N 9 ⁰ 59' 441"	E- 76°16.594"
12	,,	N 9 ⁰ 59' 612"	E- 76°16.645"
13	***	N 9 ⁰ 59' 629"	E- 76 ⁰ 16.628"
14	57	N 9 ⁰ 59, 674"	E-76º16.641"
15	HPCL Gate	N 9 ⁰ 59' 841"	E-76 ⁰ 16.692"
16	Mathai Manjuran Road	N 9°59, 866"	E-76 ⁰ 16.701"
17	Магеепа	N 9°59,920"	E-76 ⁰ 16.515"
18	Tritwam Boundary	N 9°59, 804"	E-76°16.538"
19	Green acres & HUL	N 9 ⁰ 59' 815"	E-76°16.579"
20	27	N 9 ⁰ 59' 800"	E-76 ⁰ 16.562"
21	>>	N 9 ⁰ 59' 775"	E-76 ⁰ 16.561"
22	27	N 9 ⁰ 59' 774"	E-76 ⁰ 16.555"
23	12	N 9 ⁰ 59' 753"	E-76 ⁰ 16.556"
24	22	N 9 ⁰ 59' 750"	E-76 ⁰ 16.517"
25	22	N 9 ⁰ 59' 738"	E-76 ⁰ 16.514"
26	39	N 9 ^o 59' 759"	E-76°16.440"
27	"	N 9 ⁰ 59' 748"	E-76 ⁰ 16.404"
28	Gren accica and HUL	N 9 ⁰ 59' 747"	E-76 ⁰ 16.357"
29	HUL	N 9 ⁰ 59' 699"	E-76 ⁰ 16.373"
30	HUL Factory	N 9 ⁰ 59' 640"	E-76 ⁰ 16.389"
31	HUL Factory	N 9 ⁰ 59' 630"	E-76 ⁰ 16.366"
32	HUL Factory	N 9 ⁰ 59' 589"	E-76 ⁰ 16.377"
33	Canal	N 9 ⁰ 59' 539"	E-76º16.321"
34	Abraham Madamakkal Road	N 9 ⁰ 59' 518"	E-76 ⁰ 16.233"
35	BPCL Pump	N 9 ⁰ 59, 425"	E-76°16.257"
36	CMFRI & BPCL	N 9 ⁰ 59' 314"	E-76 ⁰ 16.292"

[भाग II--खण्ड 3(ii)]

भारत का राजपत्र : असाधारण

33

ANNEXURE -IV

Performa of Action Taken Report:-

- 1. Number and date of meetings.
- 2. Minutes of the meetings: (mention noteworthy points. Attach minutes of the meeting as separate Annexure).
- 3. Status of preparation of Zonal Master Plan including Tourism Master Plan.
- 4. Summary of cases dealt with rectification of error apparent on face of land record (Eco-sensitive Zone wise).

 Details may be attached as Annexure.
- 5. Summary of cases scrutinised for activities covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006 (Details may be attached as separate Annexure).
- 6. Summary of cases scrutinised for activities not covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006 (Details may be attached as separate Annexure).
- 7. Summary of complaints lodged under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986.
- 8. Any other matter of importance.